न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्याः 35/14 निर्णय दिनांकः– 12-12-25
(जीसीएमएस संख्या 2014/00345)

1. जेठी देवी पत्नी स्व. ताजूराम जाति नायक निवासी जगदेववाला तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
2. मांगीलाल पुत्र स्व. ताजूराम जाति नायक निवासी जगदेववाला तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
3. हीराराम पुत्र स्व. ताजूराम जाति नायक निवासी जगदेववाला तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
4. नानकराम पुत्र स्व. ताजूराम जाति नायक निवासी जगदेववाला तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
5. केसराराम पुत्र स्व. ताजूराम जाति नायक निवासी जगदेववाला तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।

–प्रार्थी

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लूणकरणसर

–अप्रार्थीगण

रिव्यू प्रार्थना पत्र विरुद्ध निर्णय दिनांक 22–09–2014
अपील संख्या 5/14 राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

उपस्थितः
1. श्री प्रहलाद जाखड़, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री मिलापचंद धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

–निर्णय–

1. प्रार्थी ने यह रिव्यू प्रार्थना पत्र राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के निर्णय दिनांक 22–09–2014 जिसके द्वारा अपीलांट्स की अपील खारिज की गई है, के विरुद्व नजरसानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 229(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है।

2. विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस करते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में अपील संख्या 5/14 बउनवान जेठी बनाम सरकार प्रस्तुत की गई थी। उक्त अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 आरटीए के तहत प्रस्तुत की थी। उक्त अपील उपखण्ड़ अधिकारी, लूणकरणसर के निर्णय एवं डिकी दिनांक 8–10–2013 के विरूद्व धारा 223 के तहत प्रस्तुत की गई थी। उपरोक्त अनवानी अपील में बहस सुनने के बाद माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 22–09–2014 को निर्णय पारित करते हुए अपीलांट/प्रार्थी की अपील खारिज की गई। माननीय न्यायालय का उक्त निर्णय रिकॉर्ड व कानून के विपरीत होने के कारण एरर अप्लीकेंट ऑन फैस ऑफ रिकॉर्ड की श्रेणी में आता है। इसलिए उक्त निर्णय निरस्त किये जाने योगय है। प्रार्थीगण के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, लूणकरणसर के समक्ष रोजा मौही किस्तुरिया के पुराने खसरा नंबर 238/148 जिसके नये नम्बर 185 एवं 186 रकबा 34 बीघा 13 बिस्वा भूमि के संबंध में प्रस्तुत किया गया था तथा अपने दावे के समर्थन में बाछित सबुत भी पेश किये गये थे एवं अपने दावा को दस्तावेजो से तथा मौखिक रूप से साबित किया था इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दावा खारिज कर दिया गया। जिसकी अपील प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त खसरा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में पिछले 50 वर्षो से अधिक समय से चल रहा है जिसके संबंध में न्यायालय में दस्तावेज एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये किये थे परन्तु निर्णय पारित करते समय दस्तावेजो के संबंध में कोई विवेचन नही करके प्रार्थीगण की अपील सरसरी तौर से खारिज की गई। इस प्रकार उक्त निर्णय एरर अप्लीकेंट ऑन फैस ऑफ रिकॉर्ड की श्रेणी में आता है। प्रार्थीगण द्वारा अपील में विभिन्न नजरे पेश की गई थी परन्तु अपील के निर्णय में उक्त

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

नजीरो का उल्लेख नही किया गया है। उक्त नजीरे प्रस्तुत अपील में लागू होती है अथवा नही इसके संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा कोई विवेचन नही किया गया है। प्रार्थीगण के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष यह निवेदन किया गया था कि उक्त रकबा पर अपीलांट के पिता काश्त करते थे उनके स्वर्गवास के पश्चात उक्त रकबा अपीलांट/प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में था। अपीलांट/प्रार्थीगण को कभी भी मौके से बेदखल नही किया गया था। निरस्त अपीलांट/प्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त रहा है। उक्त तथ्यों पर भी माननीय न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का विवेचन नही किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष कथन किया गया था कि तहसीलदार लूणकरणर के द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही की गई है। इस संबंध में भी निर्णय में कोई उल्लेख नही है। अतः प्रार्थीगण का रिव्यु प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22–09–2014 निरस्त फरमाया जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपील निर्णय दिनांक 22–09–2014 में किसी प्रकार की विधिक व तकनीकी त्रुटि नहीं है। रिव्यू प्रार्थना पत्र का स्कोप बहुत सीमित है। नजरसानी जैर आदेश में केवल ऐरर ऐपेरन्ट ऑन दी फेस ऑफ रेकार्ड होने पर ही हस्तक्षेप किया जा सकता है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि यदि निर्णय में लिया गया दृष्टिकोण गलत हो तो भी उसे नजरसानी के माध्यम से हस्तक्षेप का आधार नहीं बनाया जा सकता। प्रार्थीगण द्वारा अपने रिव्यू प्रार्थना पत्र में अपील में उठाये गये बिन्दुओं को पुनः उठाया गया है, जिसकी कानून अनुमति प्रदान नहीं करता है। उपरोक्त सभी बिन्दु अदालत हाजा व न्यायालय हाजा द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णयों में अभिनिर्धारित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर प्रार्थीगण का रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। अतः प्रार्थीगण का नजरसानी प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर का निर्णय दिनांक 22–09–2014 का है जिसके विरूद्ध यह नजरसानी प्रार्थना पत्र दिनांक 20–10–2014 को प्रस्तुत हुआ है।

सर्वप्रथम रिव्यु संबंधी प्रावधानो पर गौर करना उचित होगा।

आदेश 47 नियम 1 के अनुसार Application for review of judgment.—

(1) Any person considering himself aggrieved— (a) by a decree or order from which an appeal is allowed, but from which no appeal has been preferred, (b) by a decree or order from which no appeal is allowed, or (c) by a decision on a reference from a Court of Small Causes, and who, from the **discovery of new and important matter or evidence** which, after the exercise of due diligence was not within his knowledge or could not be produced by him at the time when the decree was passed or order made, or on account of some mistake **or error apparent on the face of the record** or for any other sufficient reason, desires to obtain a review of the decree passed or order made against him, may apply for a review of judgment to the Court which passed the decree or made the order.

उपर्युक्त प्रावधान के आलोक में न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि–

1. क्या प्रकरण में कोई नया और महत्वपूर्ण तथ्य प्रकट हुआ है?
2. क्या प्रकरण में ऐरर अपेरेन्ट ऑन द फैस ऑफ रिकॉर्ड है?

रिव्यु प्रार्थना पत्र का स्कॉप अत्यन्त सीमित होता है। इसके लिए प्रार्थी को 'एरर अपेरेन्ट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड' तथा 'डिसकवरी ऑफ न्यू एण्ड इर्म्पोटेन्ट मेटर एविडेन्स(फ्रेंश फैक्टस)' साबित करना पड़ेगा।

पत्रावली के अवलोकन व उभय पक्ष की बहस से प्रकरण में यह तथ्य प्रकट होते है कि प्रार्थीगण के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीए व धारा 136 एलआरएक्ट के तहत प्रस्तुत

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

किया गया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 8–10–2013 को इस आधार पर खारिज किया गया कि वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा वाद को सिद्ध नही कर पाए है। इसलिए वादीगण/प्रार्थीगण का वाद खारिज किया गया। उक्त आदेश दिनांक 08–10–2013 से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में अपील पेश की गई थी। उक्त अपील इस न्यायालय द्वारा दिनांक 22–09–2014 को निरस्त किये जाने के फलस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा यह रिव्यु प्रार्थना पत्र पेश किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में यह नही बताया गया कि प्रकरण में ऐसे क्या नये तथ्य प्रकट हुए है जिनसे कि प्रकरण पर पुनः विचार किया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी यह भी साबित करने में असफल रहे कि न्यायालय द्वारा न्याय निर्णयन में ऐसी कौनसी त्रुटि कारित हुई है जो कि पुनः विलोकन का आधार हो।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र का मुख्य आधार केवल यह लिया गया है कि प्रार्थीगण द्वारा जो रूलिंग पेश की गई वह उक्त प्रकरण में लागू होती है अथवा नही उसकी विवेचना माननीय न्यायालय द्वारा नही की गई है तथा प्रार्थीगण के पिता/पति का उक्त वादग्रस्त भूमि पर पिछले 50 वर्षो से कब्जा काश्त है एवं तहसीलदार द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही की गई है उक्त तथ्यों का विवेचन न्यायालय द्वारा नही किया गया है इसलिए प्रार्थीगण का रिव्यु प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। इस संबंध में न्यायालय का मत है कि प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि उक्त भूमि प्रार्थीगण के पिता/पति को किस आदेश से आवंटित हुई है। प्रार्थीगण द्वारा किसी सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश अथवा राजस्व रिकॉर्ड पेश नही किया है। केवल काश्त करने के आधार पर प्रार्थीगण खातेदारी अधिकार प्राप्त नही कर सकते है। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि संवत 2012 को प्रार्थीगण के पिता/पति को आवंटित होने के तथ्य भी साबित नही कर पाये है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह अभिमत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 08–10–2013 पारित किया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गइ थी। न्यायालय राजस्व

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपील अधिकारी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 22—09—2014 द्वारा अपीलाधीन न्यायालय के निर्णय को यथावत बहाल रखते हुए प्रार्थी की अपील को खारिज किया गया है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा नजरसानी के प्रार्थना पत्र में कोई नया तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया। साथ ही प्रार्थी यह भी साबित करने मं असफल रहे कि राजस्व अपील अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन में ऐसी क्या त्रुटि कारित की है जो कि दस्तावेजो के विपरीत हो। प्रार्थी द्वारा की गई बहस से रिव्यु के तीनो बिन्दू उनके पक्ष में साबित नही होते है।

7. अतः नजरसानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 22—09—2014 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 12-12-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर